छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका (एस) क्र 0 7669/2011

श्रीमती इंदिरा पटेल, पति बी.सी.पटेल
उम्र लभगभ 37 वर्ष,
व्यवसाय सेवामुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,
निवासी वार्ड क्रमांक 24, रानी लक्ष्मीबाई वार्ड,
दल्लीराजहरा, नया बस स्टैण्ड, जिला दुर्ग (छ.ग.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य,
   द्वारा सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय,
   रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के माध्यम से

2. आयुक्त/संचालक,
   संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, रायपुर (छ.ग.)

3. अपर कलेक्टर, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

4. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

5. चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, म्युनिसिपल काउंसिल, दल्लीराजहरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

6. श्रीमती उषा मेश्राम, पति स्व श्री बी.एस. मेश्राम
   उम्र 43 जाति महर,
   निवासी चंदेली भाटा, वार्ड नं0 24,
   दल्लीराजहरा, तहसील डोन्डी, जिला दुर्ग (छ.ग.)

---- उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए :-	श्री अवध त्रिपाठी, अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्र 0 1 से 4/राज्य के लिए :-	श्री आदित्य शर्मा, पैनल वकील ।
प्रतिवादी क्र 0 5 के लिए :-	श्री वाई.एस. ठाकुर, वकील
प्रतिवादी क्र 0 6 के लिए :-	कोई उपस्थित नहीं, यद्यपि तामील हो चुकी है ।

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल
बोर्ड का आदेश

25/08/2021

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. इस मामले की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई है ।

2. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी क्र 03-अपर कलेक्टर, दुर्ग द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-10-2011 (अनुलग्नक) की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाया है, जिसके तहत आदेश दिनांक 17-08-2010 (अनुलग्नक) प्रतिवादी क्र 05 मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दल्लीराजहरा, जिला दुर्ग द्वारा पारित आदेश पी-2, जिसके तहत याचिकाकर्ता की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद से सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, को विद्वान अपर कलेक्टर द्वारा पुष्टि की गई है ।

3. याचिकाकर्ता को दिनांक 21-05-2007 को चयन प्रक्रिया में आंगनबाड़ी केन्द्र क्र 0 42 में आगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में विधिवत रूप से चयनित और नियुक्त किया गया था, जहां उसने दिनांक 8-6- 2007 को कार्यभार ग्रहण किया था । इसके बाद, उसे दिनांक 17-02-2010 को नोटिस दिया गया, जिसका उसने जवाब दिया, लेकिन अंततः उसकी सेवाएं दिनांक 17-08-2010 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दल्लीराजहरा द्वारा समाप्त कर दी गई, जिस पर उसने अतिरिक्त कलेक्टर, दुर्ग के समक्ष परिपत्र दिनांक 02-04-2008 के संदर्भ में अपील दायर करके सवाल उठाया, लेकिन दिनांक 28-10-2011 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-1) द्वारा, विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर ने अपील को खारिज कर दिया और छत्तीसगढ़ मो. नगर पालिका परिषद, दल्लीराजहरा के आदेश की पुष्टि की, जिसे इस रिट याचिका में इस आधार पर चुनौती दी गई है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के लिए दिनांक 02-04-2008 के परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और इससे याचिकाकर्ता को गंभीर पूर्वाग्रह हुआ है और इसलिए सीएमओ, नगर पालिका परिषद, दल्लीराजहरा और अतिरिक्त कलेक्टर का आदेश खारिज करने योग्य है ।

4. राज्य/प्रतिवादी क्र 0 1 से 4 द्वारा सीएमओ और अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए जवाब दाखिल किया गया है ।

5. प्रतिवादी क्र 0 5 तथा प्रतिवादी क्र 0 6 द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है ।

6. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अवध त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को हटाने के लिए, जो विधिवत रूप से एक चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए परिपत्र दिनांक 02-04-2008 (खण्ड 13) में निर्धारित प्रक्रिया अनिवार्य थी तथा केवल कारण बताओ नोटिस देकर उसकी सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकती थी । इस प्रकार, सी.एम.ओ. का आदेश कानून की दृष्टि से बिल्कुल गलत है, लेकिन उक्त परिपत्र के खण्ड 11 के अनुसार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रस्तुत अपील में, अतिरिक्त कलेक्टर ने भी उस पर गौर नहीं किया तथा अपील को खारिज कर दिया जो स्पष्ट रूप से अवैधानिक तथा कानून की दृष्टि से गलत है, इसलिए उक्त आदेश को निरस्त किया जाए तथा याचिकाकर्ता को बकाया वेतन सहित बहाल किया जाए ।

7. श्री आदित्य शर्मा\ विद्वान राज्य वकील, ने आक्षेपित आदेशों का समर्थन किया, जिसे प्रतिवादी क्र 05 के विद्वान वकील श्री वाई.एस.ठाकुर ने भी समर्थन किया ।

8. प्रतिवादी क्र 0 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं, हुआ, यद्यपि उसे नोटिस भेजा गया ।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा उनके द्वारा ऊपर दिए गए तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया ।

10. यह बात सच है कि याचिकाकर्ता का चयन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में विधिवत किया गया था, उसे प्रतिवादी क्र 0 5 के आदेश दिनांक 17-08-2010 के द्वारा सेवा से हटा दिया गया था तथा हटाने के आदेश के विरूद्ध अपील को अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा खारिज कर दिया गया है । आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हटाने की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 02-04-2008 द्वारा निर्धारित की गई है । परिपत्र दिनांक 02-04-2008 के खंड 13 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार हैः-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13 <u>कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को पद से हटाने की प्रक्रियाः-</u>

13.1 किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के संदर्भ में शिकायत प्राप्त होने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा संबंधित पर्यवेक्षक से जांच करवाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा व प्राप्त प्रतिवेदन में गुण दोषों का परीक्षण कर शिकायत सही पाये जाने पर यदि किसी प्रकार का गबन अथवा गंभीर अनियमितता का प्रकरण बनता है तो संबंधित कार्यकर्ता/सहायिका को उस पर परिलक्षित हुए आरोपों से स्पष्ट अवगत कराते हुए अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किये जाने हेतु पन्द्रह दिवस का समय प्रदान किया जावेगा एवं उत्तर प्राप्त होने पर पुनः गुण दोषों का परीक्षण कर न्यायोचित निर्णय लेते हुए यदि पद से पृथक किया जाना आवश्यक हो तो पद से पृथक किये जाने संबंधी प्रस्ताव जांच प्रतिवेदन सहित जनपद पंचायत/ नगरीय निकाय की उस समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा जा चयन के लिए सक्षम है । उक्त समिति के अनुमोदन होने के उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा पद से पृथक करने के आदेश प्रसारित किये जावेंगे ।

13.2 यदि गबन अथवा गंभीर नियमितता का प्रकरण परिलक्षित नहीं हुआ है एवं मात्र सामान्य लापरवाहियों परिलक्षित हुई हैं तो संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रथम दो बार संबंधित कार्यकर्ता/सहायिका को सचेत करते हुए चेतावनी जारी की जावेगी एवं तृतीय बार भी सुधार न आने पर उस पर स्पष्ट आरोप आरोपित करते हुए सुनवाई का अंतिम अवसर प्रदान किया जावेगा एवं प्राप्त स्पष्टीकरण पर न्यायोचित रूप से विचार करते हुए यदि पद से पृथक किया जाना आवश्यक हो तो तदानुसार उपरोक्त कण्डिका 13.1 अनुसार जनपद पंचायत/नगरीय निकाय को प्रस्ताव प्रस्तुत कर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी । यदि गंभीर कदाचार/ अनियमितता की शिकायत होने पर भी जनपद पंचायत/नगरीय निकाय की चयन समिति कार्यकर्ता/सहायिका को पद से पृथक करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के तीन सप्ताह की समयावधि के भीतर पारित नहीं करती है एवं परियोजना अधिकारी उक्त कार्यकर्ता/सहायिका को जनहित में पद से पृथक किया जाना आवश्यक मानते हैं तो बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रकरण मूल्यांकन समिति के समक्ष रखेंगे । बाल विकास परियोजना अधिकारी के द्वारा मूल्यांकन समिति के प्रस्ताव से जिला कार्यक्रम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत पद से पृथक किया जा सकेगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13.3 वरिष्ठ अधिकारियों अर्थात जिला कार्यक्रम अधिकारी अथवा उनसे उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान स्थिति असंतोषजनक पाये जाने पर यदि उनके विवेक अनुसार कार्यकर्ता को पद से पृथक किया जाना आवश्यक पाया जाता है तो इस हेतु संबंधित अधिकारी अपने निरीक्षण तथा अनियमितताओं का विस्तृत सुस्पष्ट प्रतिवेदन तैयार कर पद से पृथक करने हेतु उल्लेख करते हुए मुख कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और यदि नगरीय क्षेत्र है तो आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रेषित कर देंगे एवं जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा कण्डिका 13.1 एवं 13.2 अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

13.4 पद से पृथक्करण के आदेश के विरूद्ध अपील कंडिका 11 के प्रावधानों के अनुसार की जा सकेगी ।

13.5 यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका बिना किसी सूचना के लगातार एक माह से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहती है तो परियोजना अधिकारी अनुपस्थिति के कारण पर पर्यवेक्षक से एक जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर कंडिका 13.1, 13.2 के अनुरूप सेवा समाप्त करने की कार्यवाही करेंगे ।

13.6 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की सेवा की अधिकतम उम्र 62 वर्ष पूर्ण होने पर परियोजना अधिकारी उन्हें एक माह पूर्व लिखित सूचना देकर सेवा समाप्त करने संबंधी आदेश प्रसारित करेंगे । इस हेतु कंडिका 13.1, 13.2 के अनुरूप जनपद पंचायत/नगरीय निकाय की चयन समिति से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होगी ।

स्पष्टीकरणः- उपरोक्तानुसार पद से पृथक करने की प्रक्रिया में जिस अभ्यर्थी की नियुक्ति जिस प्रक्रिया से हुई होगी उसी प्रक्रिया से उसी प्रक्रिया के तहत विहित समिति व अनुमोदन के अनुसार उसे पद से पृथक किया जावेगा अर्थात यदि जनपद पंचायत/नगरीय निकाय से चयन हुआ है तो उसी निकाय के माध्यम से कंडिका 13.1 अनुसार कार्यवाही करते हुए पद से पृथक किया जावेगा एवं जिस अभ्यर्थी का चयन मूल्यांकन समिति तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी के अनुमोदन से हुआ होगा उसे तदनुसार ही मूल्यांकन समिति व जिला कार्यक्रम अधिकारी के अनुमोदन से पद से पृथक किया जावेगा ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. उपरोक्त कंडिकाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को हटाने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसमें परियोजना अधिकारी केकहने पर पर्यवेक्षक द्वारा जांच शामिल है तथा गबन या घोर अनियमितता के मामले में दोषी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को उत्तर प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ के 15 दिवस का समय देते हुए आरोप पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा उत्तर प्राप्त होने के पश्चात उसे जनपद पंचायत/नगर परिषद की समिति के प्रस्तुत करना होगा, जो भर्ती करने में सक्षम हो तथ उसके पश्चात सी.एम.ओ., जनपद पंचायत/आयुक्त नगर निगम द्वारा आदेश पारित किया जाना होगा । इसी प्रकार, उक्त परिपत्र की कंडिका 13.2 के अनुसार, यदि गबन या घोर अनियमितता का मामला नहीं है, तो चेतावनी दी जानी होगी ।

12. जांच करने की उपरोक्त आवश्यकता के आलोक में मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि अनुलग्नक पी-6 के तहत, याचिकाकर्ता को केवल दिनांक 17-02-2010 को नोटिस दिया गया था जिसमें उसे कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, जिसका उसने दिनांक 22-02-2010 को जवाब दिया और शामिल होने की अनुमति मांगी और इस बीच, याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, जो रिट याचिका के पृष्ठ 16 और 17 पर उपलब्ध है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बाद, परिपत्र दिनांक 02-04-2008 के खंड 13.1 में इंगित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है । आरोपों की प्रति सामग्री सहित प्रस्तुत करते हुए जवाब देने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया गया है और यह भी प्रतीत होता है कि

दिनांक 13-08-2010 को परियोजना अधिकारी ने अध्यक्ष-इन-काउंसिल की दिनांक 13-08-2010 की बैठक में प्रस्ताव के आधार पर मामले को नगर परिषद को संदर्भित किया और तदनुसार, दिनांक 17-08-2010 का आदेश पारित किया गया । इस प्रकार, याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करते समय परिपत्र दिनांक 02-04-2008 के खंड 13.1 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं दिया गया है, जिससे उसे गंभीर नुकसान हआ है । ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना अधिकारी द्वारा विभागीय रूप से एकत्रित की गई सामग्री के साथ-साथ समाप्ति के लिए कोई कारण बताओ भी याचिकाकर्ता को नहीं दिया गया है और उसे अपना बचाव करने के लिए कोई न्यूनतम अवसर नहीं दिया गया है और उसे समाप्त कर दिया गया है, जिस पर उसने उक्त परिपत्र के खंड 11 के संदर्भ में सवाल उठाया अति0 कलेक्टर ने उनके मामले पर विचार न करके स्वयं वह किया था और याचिकाकर्ता जो एक विधिवत चयनित और नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, परिपत्र दिनांक 02-04-2008 के खंड 13.1 के अनुसार, याचिकाकर्ता को उक्त पद से हटाने के सीएओ, नगर पालिका परिषद, दल्लीराजहरा के आदेश की पुष्टि करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है । आलोच्य आदेश स्पष्ट रूप से अवैध है और परिपत्र दिनांक 02-04-2008 के खंड 13 के विपरीत है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. तदनुसार, याचिकाकर्ता को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद से हटाने के दिनांक 17-08-2010 के आदेश और याचिकाकर्ता को हटाने के उक्त आदेश की पुष्टि करने वाले दिनांक 28-10-2011 के आदेश को रद्द किया जाता है । याचिकाकर्ता पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगी । बकाया वेतन का दावा करने के लिए याचिकाकर्ता नियुक्ति के लिए याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र है । आज से छह सप्ताह के भीतर प्राधिकरण को एक ज्ञापन सौंपना है जिसे पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कानून के अनुसार विचार किया जाएगा । हालांकि, आधिकारिक उत्तरवादी कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इसे अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए आदेश के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि न्याय के हित में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना समीचीन न हो ।

14. रिट याचिका को ऊपर बताई गई तय सीमा तक स्वीकार किया जाता है । लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं ।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
जज

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur